भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2097
दिनांक 29 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय महिला कोष

2097. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस:
श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिन उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) की स्थापना की गई थी, उन्हें प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
(ख) आरएमके के क्रियान्वयन में सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;
(ग) क्या सरकार ने आरएमके के संबंध में महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या रहे;
(घ) क्या सरकार ने आरएमके के कार्यकरण की समीक्षा की है और यदि हां, तो उसमें पाई गई कमियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या आरएमके के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन के लिए कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या कई व्यक्तियों ने आरएमके की विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत ली गई ऋण की राशि का पुनर्भुगतान नहीं किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान ऋण चूककर्ताओं की संख्या कितनी है और इन ऋणों की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं या इसके लिए उसके पास क्या तंत्र उपलब्ध है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ड.) : भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) की स्थापना महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए आजीविका गतिविधियों, आवास, लघु उपक्रम तथा पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए मध्यस्थ माइक्रो वित्त संगठनों (आईएमओ) के माध्यम से गरीब महिलाओं को छूट वाले सूक्ष्म वित्त ऋण देने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय महिला कोष आईएमओ के माध्यम से गरीब महिलाओं को समानान्तर रियायती सुक्ष्म वित्त ऋण प्रदान किए थे। आरएमके ने अपनी शुरूआत के समय से 373.12 करोड रूपये की राशि तक के ऋणों को मंजूरी दी है और 7,41,163 लाभार्थियों को शामिल करते हुए 315.13 करोड रूपये का वितरण किया है।

आरएमके की स्थापना के समय, यह आईएमओ के माध्यम से गरीब महिलाओं को रियायती सूक्ष्म वित्त ऋण देने के क्षेत्र में काम करने वाला एक प्रमुख सरकारी निकाय था। समय के साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसी विभिन्न सरकारी पहलों के माध्यम से महिला उद्यमियों के लिए पर्याप्त वैकल्पिक ऋण सुविधा तंत्र उपलब्ध हो गए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा गठित विशेष प्रबंधन आयोग की सिफारिशों और सरकारी निकायों के युक्तिकरण पर आर्थिक मामलों के विभाग के प्रमुख सलाहकार की रिपोर्ट के अनुरूप सरकार ने दक्षता में सुधार और उपलब्ध संसाधनों इष्टतम उपयोग के लिए आरएमके को बंद करने का निर्णय लिया है।

उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, 20 मध्यस्थ संगठनों (ओएमओ) गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने अंतिम तीन वर्षों में ऋण के पुनर्भुगतान में व्यतिक्रम किया है।

राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) व्यतिक्रम वाली ऋण राशि की वसूली के लिए विभिन्न कदम उठा रही है जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी करना, काली सूची में डालना, सिविल वाद के मामले दाखिल करना, एनआई एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत मामले दाखिल करना शामिल है।

*****